1/8/25

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट मांगीलाल के फौत होने पर उनके वारिसान देवदास वगै० की ओर से एडवोकेट दिनेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया/ जो शा० मि० किया गया। अपीलान्ट के वारिसान की ओर से जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि मांगीलाल फौत हो चुके हैं। उनके पुत्र देवदास ने प्रार्थना पत्र के साथ शेष कायम मुकाम का मुख्त्यारनामा खास की फोटो प्रति पेश की जो शा० मि० की गई। मूल प्रार्थना पत्र प्रकरण क्र. 23/25 में शा० मि० है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

रेस्पो० संख्या 1, 2, 6, 7 की ओर →

Not-Press
दिनेश शर्मा
एडवोकेट
वकील अपी० 1-8-2025

"No objection"
[signature]
वकील रेस्पो०

-2-

से एड० सोनीराम शर्मा ने वकालतनामा पेश किया जो शा० मि० किया गया। रेस्पो० की ओर से जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 12/6/25 से रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति स्वीकार किया गया है। इसलिए अपील चलने योग्य नहीं रहती है। अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की है। वकील रेस्पो० ने आर्डर शीट पर भी अपील खारिज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। साथ ही वकील अपीलान्ट ने भी अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने का नोट आर्डर शीट पर अंकित किया है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 12/6/25 का अवलोकन किया गया। मा० न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12/6/25 में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30/4/2002 को निरस्त किया है तथा प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट का प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं निगरानी को स्वीकार किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट की सहमति के आधार पर एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 12/6/25 के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
भरतपुर